(68)

बिहार सरकार

पर्यटन निदेशालय

संकल्प संख्या–प्रो०डे०को०–63/2006 1231 प०नि०, पटना, दिनांक 27/7/2012

संकल्प

विषय :– **होटल/मोटल/रेस्ट हाउस के मान्यता/सूचीबद्धता प्रदान करने हेतु शुल्क निर्धारण करने के संबंध में।**

पर्यटन निदेशालय, बिहार ने होटल/मोटल/रेस्ट हाउस के मान्यता/सूचीबद्धता प्रदान करने के लिए विभागीय नियम एवं शर्त के अधीन निम्न संशोधन किया गया है :–

1. होटल/मोटल/रेस्ट हाउस को मान्यता देने के क्रम में इसे दो श्रेणियों में रखकर मान्यता शुल्क लिया जायेगा। श्रेणी A में वैसे होटल/मोटल/रेस्ट हाउस को रखा गया है जिसमें 15 ठहरने योग्य कमरों से अधिक हों तथा ए०सी० कमरा उपलब्ध हो, ऐसे होटल मोटल रेस्ट हाउस का मान्यता देने के लिए 5000/– रु० शुल्क निर्धारित किया जाता है।

   श्रेणी B में वैसे होटल/मोटल/रेस्ट हाउस को रखा गया है जिसमें 15 या 15 कमरों से कम हो ऐसे होटल, मोटल, रेस्ट हाउस का मान्यता देने के लिए 3000/– रु० शुल्क निर्धारित किया जाता है।
2. प्रथम बार मान्यता पूर्व की तरह तीन वर्षों के लिए दिया जायेगा तथा उपर्युक्त श्रेणियों के लिए कर्णांकित राशि अगले तीन वर्षों के लिए अवधि विस्तार के मामले में भी क्रमशः 5000/– एवं 3000/–रु० रखा गया है।
3. शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदन पत्र के साथ निदेशक, पर्यटन, बिहार के नाम से देय होगा।

आदेश :– दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति बिहार गजट में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित की जाय एवं इस गजट की 100 प्रति निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

पूर्व निर्गत संकल्प संख्या–156 दिनांक 17.01.2008 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

24/7/12

(धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक, पर्यटन, बिहार, पटना ।

ज्ञाप संख्या :– प्रो०डे०को०–63/2006 1231 प०नि०, पटना, दिनांक 27/7/2012

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित, कि अगले बिहार गजट के असाधारण अंक में इसका प्रकाशन कराया जाय।

24/7/12

निदेशक, पर्यटन, बिहार, पटना ।

ज्ञाप संख्या :– प्रो०डे०को०–63/2006 1231 /प०नि०, पटना, दिनांक 27/7/2012

प्रतिलिपि :– सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/7/12

निदेशक, पर्यटन, बिहार, पटना ।

ज्ञाप संख्या :– प्रो०डे०को०–63/2006 1231 /प०नि०, पटना, दिनांक 27/7/2012

प्रतिलिपि :– सभी पदाधिकारी, पर्यटन निदेशालय/सभी प्रभारी अधिकारी, पर्यटक सूचना केन्द्र एवं विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/7/12

निदेशक, पर्यटन, बिहार, पटना ।